भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 625
दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

संस्थानों के जल का संदूषण

625. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि 90 प्रतिशत से अधिक संस्थानों यथा आंगनबाड़ी और विद्यालयों में नल से जल उपलब्ध है लेकिन इनमें से अनेकों ने इसमें बड़ी मात्रा में क्लासिक तथा अन्य जीवाणु संदूषण के बारे में बताया है क्योंकि इसे गांवों द्वारा स्वतः रिपोर्टिंग के आधार पर अंगीकार किया गया था और इसे तृतीय पक्षकार द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ग्रामीण भारत में नल के जल को निरंतर अंगीकार करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन लागू कर रही है। बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने के साथ, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में पीने, मध्याह्न भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में उपयोग के उद्देश्य से नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए 2 अक्टूबर 2020 को एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। स्कूलों में नल जल आपूर्ति की कवरेज 0.48 लाख से बढ़कर 9.28 लाख (88.91%) तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में 0.25 लाख से बढ़कर 9.69 लाख (85.12%) हो गई है।

जल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक समीक्षा बैठकों, फील्ड दौरों आदि के माध्यम से अन्य *बातों के साथ-साथ* जेजेएम मानकों (बीआईएस:10500) के अनुसार आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता सहित प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन का 2% तक जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* विभिन्न स्तरों पर मौजूदा जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन, प्रयोगशालाओं को रसायन एवं उपभोज्य वस्तुएं उपलब्ध कराना, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों/अभिकर्मकों, कांच की बनी वस्तुओं, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, जमीनी स्तर पर रसायन (क्लोरीन सहित) और जीवाणु संबंधी जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) की खरीद और प्रयोगशालाओं की एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

राज्यों को जलजनित जोखिमों की शीघ्र पहचान करने के लिए स्कूलों, आंगनवाड़ियों और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित क्षेत्र विशिष्ट पैरामीटरों के साथ सामान्य पैरामीटरों के लिए एफटीके का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर एफटीके का उपयोग करते हुए जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए स्थानीय समुदाय की 5 महिलाओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की सलाह दी गई है। मापित क्लोरीनीकरण को किसी भी जैविक संदूषण के विरूद्ध एक प्रभावी रणनीति माना जाता है और अवशिष्ट क्लोरीन पानी की पीने योग्य गुणवत्ता का एक संकेतक है। राज्यों द्वारा उपर्युक्त उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवधिक आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करने और परिवारों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति किए गए जल की निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करने की भी सलाह दी गई है।

*****